राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर

आदेश

एकलपीठ दाण्डिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 6386/06
जीतू उर्फ जितेन्द्र व अन्य बनाम राजस्थान राज्य

-

01.11.2006

माननीय न्यायाधिपति श्री जितेन्द्र राय गोयल

श्री बीरी सिंह, अधिवक्ता- अभियुक्त- प्रार्थीगण की ओर से
श्री एम एल गोयल, विद्वान लोक अभियोजक

--

अभियुक्त- प्रार्थीगण जीतू उर्फ जितेन्द्र, राजू व सुन्दर सिंह द्वारा यह अग्रिम अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र धारा 438 जाप्ता फौजदारी में प्रथम सूचना संख्या- 168/2005 पुलिस थाना- कुम्हेर,जिला-भरतपुर अपराध अन्तर्गत धारा 147, 148,149,323,336,456,307 भारतीय दण्ड संहिता के सदंर्भ में प्रस्तुत किया गया हैं।

इस पर अभियुक्त- प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी तथा केस डायरी/ दौरान बहस प्रस्तुत प्रलेखीय सामग्री का अवलोकन किया गया।

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त- प्रार्थीगण की ओर से तर्क दिया गया है कि उन्हें इस मामले में झूंठा लिप्त किया है। उनका यह भी तर्क रहा है कि इस मामलें में पुलिस ने विस्तृत रूप से अन्वेषण करने के बाद अन्तिम नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत की थी लेकिन प्रोटेस्ट पीटिशन पर प्रसंज्ञान लेकर अभियुक्त-प्रार्थीगण को जरिये वारन्ट गिरफ्तारी से तलब किया गया है जबकि अभियुक्त- प्रार्थीगण के विरूद्ध तो कोई विशिष्ट आपराधिक कृत्य ही नहीं बताया गया है तथा आहत राजेन्द्र सिंह व अंगद सिंह के पैरो के नीचे आग्नेय शस्त्र से साधारण प्रकृति की चोटें अन्य सह अभियुक्त पप्पू , भरत सिंह द्वारा कारित की गयी है। उनका यह भी तर्क है कि वस्तुत: परिवादी पक्ष के अंगद सिंह द्वारा गोली चलाकर श्रीमती शिव देई को घायल किया गया, जिससे शिवदेई के गर्दन में दाहिनी तरफ, गर्दन के सामने की तरफ व चेहरे व दोनों आंखों पर छर्रें लगे तथा लाठी से भी मारपीट की गयी, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 167/2005 पुलिस थाना- कुम्हेर में दर्ज करवायी गयी, जिसमें अन्वेषण के उपरान्त

परिवादी पक्ष के विरूद्ध धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता की चार्ज शीट प्रस्तुत की गयी है।

विद्वान लोक अभियोजक ने प्रार्थना पत्र का विरोध किया।

हमने उभय पक्ष के तर्कों एवं दौरान बहस प्रस्तुत समग्र प्रलेखीय सामग्री पर विचार किया।

इस प्रक्रम पर मामले के गुणावगुण पर विशेष विवेचन न करते हुए व प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा विशेष रूप से इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि आहतगण के आग्नेय शस्त्र से चोटें कारित करने का आरोप सह अभियुक्त-पप्पू पर बताया गया है तथा अभियुक्त- प्रार्थीगण पर ऐसी कोई चोट कारित करने का आरोप नहीं है तथा घटना के सम्बन्ध में क्रॉस प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई है, जिसमें परिवादी पक्ष के विरूद्ध धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध की चार्ज शीट प्रस्तुत की गयी है एवं इस मामले में पुलिस द्वारा बाद अन्वेषण अन्तिम नेगेटिव रिपोर्ट दी गयी थी, जिस पर प्रसंज्ञान लेकर उन्हें जरिये गिरफ्तारी वारन्ट से तलब किया गया है, मेरी राय में अभियुक्त-प्रार्थीगण का यह अग्रिम जमानत के प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का उचित मामला है।

अत: अभियुक्त- प्रार्थीगण जीतू उर्फ जितेन्द्र, राजू व सुन्दर सिंह द्वारा प्रस्तुत यह अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उन्हें इस मामले में गिरफ्तारी वारन्ट के स्थान पर जमानतीय वारन्ट रूपये दो हजार से तलब किये जाने का आदेश दिया जाता है।

(न्या0 जितेन्द्र राय गोयल)